



DSSSB TGT & PGT



Part-B

SCHOLAR BATCH

POLITY

भारतीय संविधान

भाग 1 एवं 2

Part -5

LIVE

17-05-2024 04:00 PM



अनु. 6 पाकिस्तान से भारत आने
वाले लोगों के लिए नागरिकता
का प्रावधान

19 जुलाई 1948

पहले

सामान्य औपचारिकता
के उपरान्त उसे भारत
की नागरिकता प्रदान
की जायेगी।

बाद

रजिस्ट्रार ऑफिस जाना।
रजिस्ट्रेशन के लिए Application
6 माह तक भारत में रहना।
नागरिकता

१ को जाने वाले अब पुनः पाकिस्तान
से भारत को लौटकर आने वाले
लोगों के लिए नागरिकता -

पहले

सामान्य औपचारिकता
पूरी करनी होगी
नागरिकता

1 मार्च 1947 बाद

पाकिस्तान सरकार से
स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
लेकर आना होगा।
रजिस्ट्रार ऑफिस जाना
पड़ेगा,
रजिस्ट्रेशन के लिए मं. 14
6 माह तक 14
नागरिकता

कर रहा है, परन्तु वह भारतीय मूल का है।

① वह, अपने माता-पिता, दादा-दादी नाना-नानी में से कोई एक भारत के राज्यधेज में जन्मा है।

② भारत का राज्यधेज वही होगा जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित है।

③ इस देश के भारतीय दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

नागरिकता संशोधन आर्द्व १९५५

नागरिकता की प्राप्ति

- ① जन्म से
- ② वंशक्रम से
- ③ रजिस्ट्रेशन से
- ④ देवीकरण से
- ⑤ अर्जित करके

नागरिकता की समाप्ति

- ① परित्याग
- ② पर्यावरण
- ③ वांछित किया जाना

जन्म से

उपवाद -

- ① विदेशी राजदूतों के बच्चे जो भारत में जन्मे हों
- ② राज के अधीन देश के किसी हिस्से में जन्मे बच्चे

२६ जनवरी १९५०

भारत के राज्यघटन में
जन्मोपपत्ति

जिसके माता पिता में से कोई
एक भारत के नागरिक हो

म गौचर राजे रेडेशन
कराने होगा।

उदाहरणस्वरूप

पुष्पा
चोपड़ा
निकुसजीन

CAA-1992

मालती

रेडेशन = पहले पिता का भारतीय
जन्मी था। वर्तमान में
पिता मैं से कोई एक भार
हों।